

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-११०००२.
(विकलांग कल्याण शाखा)

मिसिल सं ४२/१००३/RTI/AD-III/DSW/2014/23794 फैलाउने

सेवा में,

26 MAR 2015

श्री महेश्वर ठुस्टन,
पता :- C-32, रीड्स लाइन
दिल्ली विश्व विद्यालय,
दिल्ली - ११०००७.

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के तहत ज्ञान।

सन्दर्भ :- F.NO41(45)/FAS/DSW/Infr. Act 2005/172/2014-15/396-397 dt.23.3.15

मीमान्

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में फैलाउने के बारे में सूचना को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माँगी गई जानकारी समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न तथा :-

प्रश्न संख्या	उत्तर
(1)	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों के लिए विशेष जारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी "एसरए" के रूप में संलग्न है।
(2)	इस शाखा से संबंधित नहीं है।
(3)	समाज कल्याण विभाग की आर्थिक सहायता अनुभाग शाखा से संबंधित है।
(4)	इस विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो स्थान अपीलिय अधिकारी/ अतिरिक्त निदेशक (समाज कल्याण), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार जी.एल.एन.कार्पोरेशन, दिल्ली गेट, नई दिल्ली के सम्बन्ध अपील कर सकते हैं।

संलग्न :- उपरोक्त अनुसार

अवधीय
ठुस्टन
२२/०३/२०१५

संहारक निदेशक (विकलांग)

क.प.द.

मिसित सं. ४२। १०३। RTI। ADIII। DSW। २०१५। /२३७९५

प्रतिलिपि:-

दिनांक:-

26 MAR 2015

१. उपनिदेशक/जनसूचना आधिकारी, आर्थिक सहायता अनुभाग,
समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली ३१२, नई
दिल्ली-११००३ की तब्बन संख्या-०३ की सूचना पढ़ाने करने
हेतु।

(२) संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कम्पूटर सेल, समाज कल्याण
विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली ३१२, नई दिल्ली - समाज
कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

२८/०३/२०१५

सहायता निदेशक (सिक्किंग)

- (1) विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेविलिटीज' (एन.पी.आर.पी.डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःशक्त जन हेतु General Disability Camp, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से षिविर का आयोजन करता है इस षिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे :—
1. विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
 2. विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
 3. इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
 5. आउटिजम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
 6. एड्स एण्ड अप्लाइंसेज
 7. समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

(2) समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी छोन्न, दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा द्वारा विकलांग व्यक्तियों की नियमानुसार 1500 रु की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बताई जा रही है।

25/03/2015